

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांक : प. 6(5)प्र.सु./अनु.-3/2017


जयपुर, दिनांक : 18-7-2018

आज्ञा

समसंख्यक आज्ञा दिनांक 03.11.2017 द्वारा श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निवारण समिति को आवंटित कार्य में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-


(viii) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में विभिन्न पदों/संवर्गों हेतु उच्चतर वेतन/पे लेवल संबंधी ज्ञापनों पर संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं कर्मचारी संघों से चर्चा कर परीक्षण उपरांत सिफारिश करना।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

  
(डा. प्रेम सिंह चारण)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत्त आई.ए.एस।
4. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट)।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. श्री डी.के. मित्तल, सेवानिवृत्त राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी।
10. श्री एम.पी. दीक्षित, सेवानिवृत्त राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी।
11. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, वित्त (नियम) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।



(के.के.खण्डेलवाल)  
अनुभाग अधिकारी